REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062025-264229 CG-DL-E-30062025-264229

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] No. 457] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947

> भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून 2025

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2025

सं. फेमा.23(आर)/(6)/2025-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी], (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्::

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

4138 GI/2025

2. मूल विनियमावली में, विनियम 4 में, उप-विनियम (सी) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (सीए) जोड़ा जाएगा, अर्थातु: -

"सीए) अपतटीय सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टग्स, टग बोट, ड्रेजर और जलयान, भारत में उनके पुन: आयात के अधीन"

एन. सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./190/2025-26]

**पाद टिप्पणी**: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 12.01.2016-जीएसआर संख्या 19 (ई), में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नानुसार संशोधन किए गए:

i. जीएसआर संख्या 635 (ई) दिनांक 23.06.2017

ii. फेमा 23(R)/(2)/2019-आरबी दिनांक 03 दिसंबर 2019

iii. फेमा 23(R)/(3)/2020-आरबी दिनांक 31 मार्च 2020

iv. फेमा 23(R)/(4)/2021-आरबी दिनांक 08 जनवरी 2021

v. फेमा 23(R)/(5)/2021-आरबी दिनांक 08 सितंबर 2021

### **RESERVE BANK OF INDIA**

### FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT

# NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2025

### Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) (Amendment) Regulations, 2025

No. FEMA 23(R)/(6)/2025-RB In exercise of the powers conferred by Section 7 and clause (b) of subsection (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015-RB dated January 12, 2016] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

1. Short Title and Commencement: -

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) (Amendment) Regulations, 2025

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 4, after sub-regulation (c) the following sub-regulation (ca) shall be inserted, namely: -

"ca). Tugs or Tug Boats, Dredgers and Vessels used for providing offshore support services, subject to their re-import into India"

N SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT. III/4/Exty./190/2025-26]

**Foot Note:** The Principal Regulations were Published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 12.01.2016- G.S.R.No.19(E) and subsequently amended vide the following,

namely as under: -

- i. G.S.R.No. 635(E) dated 23.06.2017
- ii. FEMA 23(R)/(2)/2019-RB dated December 03, 2019
- iii. FEMA 23(R)/(3)/2020-RB dated March 31, 2020
- iv. FEMA 23(R)/(4)/2021-RB dated January 08, 2021
- v. FEMA 23(R)/(5)/2021-RB dated September 08, 2021